ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

अनुचित साधन प्रयोग के सम्बंध में कृत्यानुसार दण्ड निर्धारण की विवरणिका

क्रम सं0	अनुचित साधन प्रयोग/कृत्य	दण्ड
1.	• केन्द्राध्यक्ष/परिप्रेक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना। • दूसरे परीक्षार्थी से परीक्षा के दौरान बात करना। • अनुक्रमांक के अतिरिक्त प्रश्न पत्र पर अन्य किसी भी प्रकार का लेखन करना। • परीक्षार्थी की सीट के आस–पास सम्बंधित परीक्षा के विषय में कोई भी लिखित सामग्री पाए जाने पर किन्तु परिप्रेक्षक द्वारा नकल सत्यापित न होने पर। • उत्तर पुस्तिका पर अभद्र टिप्पणी किया जाना। • उत्तर पुस्तिका से बार–कोड/इन क्रिप्टेड कोड को हटाया जाना। • परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व विषय से सम्बंधित तथ्य सीट के आस–पास अंकित करना। • परीक्षा केन्द्र/परीक्षा कक्ष में अनुचित व्यवहार।	परीक्षार्थी को भविष्य में कृत्यों की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी जारी करना। पुनरावृत्ति किये जाने पर सम्बन्धित प्रश्न पत्र शून्य किया जाना।
2.	• परीक्षार्थी के पास किसी प्रकार की लिखित नकल सामग्री पाए जाने पर किन्तु उसका उपयोग न किया जाना। • जान बूझ कर उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार का पहचान चिन्ह बनाना। • परीक्षा भवन में या परीक्षा भवन से बाहर यथा वॉशरुम, लॉबी इत्यादि किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री लाना या किसी अन्य अनाधिकृत व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करना।	सम्बन्धित प्रश्न पत्र का परीक्षा फल शून्य किया जाना।
3.	• परीक्षार्थी द्वारा लिखित सामग्री अथवा इलेक्ट्रानिक गैजट से नकल करते पाया जाना। • दो परीक्षार्थीयों को आपस में उत्तर पुस्तिका बदलना। • जानबूझ कर दूसरे परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका से नकल कराना। • परीक्षार्थी द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका/प्रश्नपत्र फेंकना/फाड़ देना/परीक्षार्थी द्वारा लिखित सामग्री को पाए जाने पर उसको चबाकर अथवा अन्य किसी प्रकार से विनष्ट करना। • परीक्षाकेन्द्र पर किसी भी प्रकार का रिश्वत देने का प्रयत्न करना। • परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा संचालन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से विघ्न डालना।	• सम्बन्धित प्रश्न पत्र के साथ–साथ एक अन्य प्रश्न पत्र जिसमे उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों का परीक्षाफल शून्य घोषित किया जाना। • नकल करने वा कराने वाले दोनो ही परीक्षार्थियों के सम्बन्धित प्रश्न पत्र के साथ–साथ एक अन्य प्रश्न पत्र जिसमे उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों का परीक्षाफल शून्य घोषित किया जाना।

4.	• परीक्षार्थी द्वारा परिप्रेक्षक अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी को परीक्षा ड्यूटी के दौरान धमकी देना अथवा अभद्र व्यवहार किया जाना। • परीक्षा कक्ष में लिखित उत्तर पुस्तिका लेकर आना। • परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में अधिक मात्रा में नकल सामग्री यथा पुस्तकें, नोटस आदि लेकर आना।	सम्बंधित सेमेस्टर के सभी थ्योरी प्रश्नपत्र का परीक्षाफल शून्य घोषित किया जाना।
5.	• परीक्षा के दौरान वास्तविक परीक्षार्थी के स्थान पर किसी छद्म व्यक्ति का पाया जाना। • परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका लेकर परीक्षा भवन से जाना/भागना। • परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका को फाड़ना/फाड़े जाने का प्रयत्न करना।	परीक्षार्थी के सम्बंधित सेमेस्टर के सभी थ्योरी एवं प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र को निरस्त किया जाना।
6.	• परीक्षा भवन में बन्दूक, रिवाल्वर, चाकू या अन्य प्रतिबन्धित असलहे लाना। • परीक्षा डयूटी के दौरान परिप्रेक्षक/सक्षम प्राधिकारियों पर हमला करना।	प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सम्बंधित वर्ष के सेमेस्टर का परीक्षाफल शून्य घोषित किया जाना।
7.	• परीक्षार्थी द्वारा बिन्दू संख्या 01 से 06 तक अंकित अनुचित साधनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अनुचित साधन प्रयोग/ या असाधारण व्यवहार आदि का करते हुए पाया जाना।	परीक्षा समिति द्वारा कृत्य की गम्भीरता के अनुसार परीक्षार्थी के पृथक–पृथक प्रकरणों पर विचार किया जाना।